"श्री"

राजस्व प्रकरण क्र0 . . /निगरानी/2016

माननीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

R-4338-PBR/16

रेखा पिता माधवराव अधिकार, पति–जयंत सोनी
निवासी– चौबे मोहल्ला, बडवानी .....आवेदिका/निगरानीकर्ता
जिला बडवानी

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री रत्नेश गुप्ता
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 01-12-16
को प्रस्तुत।
832
01-12-2016
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

विरुद्ध

1– प्रमोद पिता माधवराव अधिकार
2– अशोक पिता माधवराव अधिकार
3– किरण पिता माधवराव अधिकार
उक्त समस्त निवासी– विट्ठल पथ मंदिर, खरगोन ......अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता

Noted
18/01/17
Rahul
20/12/16

आवेदिका,श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व, गोगांवा जिला खरगोन द्वारा नायब तहसीलदार गोगांवा जिला खरगोन म.प्र. के राजस्व प्रकरण क्रमांक 68/अ/15–16 में दर्ज हुआ, में [redacted] आवेदन–पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में पारित आदेश दिनांक 29.10.2016 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर अन्य आधारों के अतिरिक्त निम्न आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करती है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदिका एवं अनावेदक क्रमांक 1 से लगायत 3 के हक्क मालकी एवं आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम–कन्नडपुरा प.ह.नं. 29 तहसील गोगांवा, जिला–खरगोन म.प्र. में स्थित खसरा नंबर 47/2/1, 47/1/2 कुल रकबा 1.618 हेक्टर लगान रु. 4.25 पैसे की भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, आवेदिका एवं ...

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4338-पीबीआर/16 जिला खरगोन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-7-2018	आवेदिका की ओर से कोई उपस्थित नहीं । अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदिका द्वारा तहसीलदार, गोगांवा जिला खरगोन के जिस प्रकरण के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई थी, उक्त प्रकरण क्रमांक 68/अ-6/16-17 में तहसीलदार द्वारा दिनांक 8-3-2017 को अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदिका की अपील अनुविभागीय अधिकारी, खरगोन द्वारा दिनांक 29-6-2017 को आदेश पारित कर निरस्त की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया औचित्यहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	